न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 4215 / 2005 / राजसमंद

1– केशानाथ पुत्र मेघानाथ निवासी ग्राम बडगांव तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमंद।
2– श्रीमती सोवनी पत्नि हीरानाथ निवासी ग्राम धोरण तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमंद।
3– वरदानाथ पिता नन्दानाथ निवासी ग्राम बडगांव तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमंद।
4– जालूनाथ पिता नन्दानाथ निवासी बडगांव तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमंद।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– कन्नानाथ पिता भेरूनाथ
2– सोहननाथ पिता मन्नानाथ
3– ऐजीबाई पिता मन्नाथ
4– सवनाथ पिता भेरानाथ
5– भूरानाथ पिता भेरानाथ
6– चूनानाथ पिता भेरानाथ
7– बरदानाथ पिता शम्भूनाथ
समस्त जाति नाथ एवं निवासीयान ग्राम बडगांव तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमंद।
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री एस. एल. बोहरा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2018

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,

अपील डिक्री / टी.ए. / 4215 / 2005 / राजसमंद
केशानाथ आदि बनाम कन्नानाथ आदि

उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–8–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– न्यायालय सहायक कलेक्टर, कुम्भलगढ ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2006 में रेस्पोन्डेन्ट का दावा साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया था तथा विवादग्रस्त आराजीयात मौजा खडलिया पटवारी हल्का बडगांव तहसील कुम्भलगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर–1862/1 रकबा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर–1864 रकबा 5 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर–1865 रकबा 5 बिस्वा 1/2 बिसवांसी, 1866 रकबा 5 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर–1867, 1868 व 1869 रकबा 12 बिस्वा 1/2 बिसवांसी कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वरदानाथ पिता शम्भूनाथ, मानानाथ, कन्नानाथ, सवनाथ, भूरानाथ, चुनानाथ, नन्दानाथ, केशानाथ पिता भेरूनाथ के बजाए वरदानाथ पिता शम्भूनाथ, मानानाथ, कानानाथ, सवनाथ, भूरानाथ और चुनानाथ पिता भेरूनाथ, जालूनाथ, वरदानाथ, श्रीमती सोवनी पिता नन्दानाथ एवं केशानाथ पिता मेघनानाथ लिखा जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाकर पालना हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ को लिखा जावे। इस आदेश की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में किये जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–8–2005 में रेस्पोन्डेन्ट की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–6–2004 को निरस्त किया तथा रेस्पोन्डेन्ट सोहननाथ वगैरहा को वाद पत्र के कॉलम संख्या–M में वर्णित आराजीयात कुल किता 5 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रस्तुत द्वितीय अपील इसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने उनकी अपील को ही बहस मानकर निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

5– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

6– जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 में विवादग्रस्त आराजीयात कुल किता 5 रकबा1 बीघा 11 बिस्वा श्री भगाानाथ पिता खुमानाथ एवं भेरूनाथ पिता परथानाथ के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या‘567 दिनांक 18–7–1980 के अनुसार भेरूनाथ की विरासत का

नामान्तरकरण मानानाथ, कन्नानाथ, सवनाथ, भूरानाथ, चुनानाथ, नन्दानाथ, केशानाथ पिता भेरूनाथ के नाम दर्ज करने के आदेश इसी जमाबन्दी संवत 2035 प्रदर्श–1 में अंकित है। प्रदर्श–2 नामान्तरकरण संख्या–567 जिसके अनुसार भेरूनाथ की वसीयत का नामान्तरकरण उसके पुत्रों के नाम दर्ज किया जाना बताया किया है। यह नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मोरचा पंचायत समिति कुम्भलगढ के द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात वरदानाथ पिता शम्भूनाथ एवं मानानाथ, कन्नानाथ, सवनाथ, भूरानाथ, चुनानाथ, नन्दानाथ, केशानाथ पिता भेरूनाथ का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया हुआ है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वरदानाथ ने अपना इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि भेरूनाथ की मृत्यु होने के पश्चात नामान्तरकरण दर्ज करते समय भेरूनाथ के 7 पुत्र मानानाथ, कन्नानाथ, सवनाथ, भूरानाथ, चुनानाथ, नन्दानाथ, केशानाथ के नाम से नामान्तरकरण खोला गया। जबकि नन्दानाथ, केशानाथ, भेरूनाथ के पुत्र नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि संवत 1987 में खाता संख्या–182 मौजा बडगांव में जमींन नवलनाथ, भेरूनाथ, मेघनाथ पिता परथानाथ 1/2 हिस्सा, लाडूनाथ पिता ओमनाथ 1/2 हिस्सा के नाम पर दर्ज थी। इस खाते को हटाकर तत्कालिन पटवारी द्वारा केवल नवलनाथ, भेरूनाथ के नाम पर खाता खोल दिया। जबकि यह खाता तीन भाईयों नवलनाथ, भेरूनाथ व मेधनाथ के नाम पर खोलना चाहिये। नवलनाथ का हिस्सा भेरूनाथ व मेघनाथ ने खरीद लिया। इसके बाद खाता भेरूनाथ व मेघनाथ के नाम पर खुलना चाहिये था, केवल भेरूनाथ के ही नाम पर खुल गया। इसके बाद पटवारी हल्का द्वारा इस भूल को सुधारने की कोशिश की गयी। जिसमें भेरूनाथ एवं मेघनाथ के वारिसान के नाम के आगे पिता का नाम केवल भेरूनाथ का लिख दिया गया, जबकि नन्दानाथ एवं केशानाथ के नाम के आगे पिता का नाम मेघनाथ दर्ज होना चाहिये था। विवादग्रस्त आराजीयात पर शुरू से आज दिन तक बदस्तूर कब्जा प्रतिवादीगण संख्या–2, 3, 4, 5, का लगातार चलता आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 2, 3 व 4 के पिता के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या–5 के पक्ष में एक स्टाम्प भी लिखा गया, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।

7– जवाब दावा एवं प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि भेरूनाथ के 5 ही पुत्र थे। नन्दानाथ एवं केशानाथ, भेरूनाथ के पुत्र नहीं थे। जबकि इसके नाम जो नामान्तरकरण दर्ज किये गये हैं। बतौर भेरूनाथ के पुत्र होने के नाते ही किये गये हैं। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में स्वयं को भेरूनाथ का पुत्र नही बताया है, बल्कि वह नन्दानाथ व मेघनाथ के वारिस है। मौखिक साक्ष्य ने दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष मे साक्ष्य करवाई है। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां दस्तावेजी साक्ष्य

अपील डिक्री / टी.ए. / 4215 / 2005 / राजसमंद
केशानाथ आदि बनाम कन्नानाथ आदि

उपलब्ध है तो न्याय निर्णय करते समय दस्तावेजी साक्ष्यों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तुत जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात वरदानाथ पिता शम्भूनाथ हिस्सा 1/2 एवं भेरूनाथ के वारिसान के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है। पंचायत के द्वारा जो नामान्तरकरण केशानाथ व नन्दानाथ के नाम दर्ज किया गया है उसमें भेरूनाथ के पुत्र मानकर ही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वह किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं करवाये गये। ऐसी स्थिति में विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उरयपुर द्वारा जो तनकीवार निर्णय दिया गया है, वह विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

8- फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 8-8-2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

अपील डिक्री / टी.ए. / 4215 / 2005 / राजसमंद

केशानाथ आदि बनाम कन्नानाथ आदि